"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012—श्रावण 26, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7.—इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 के पैरा-1 एवं पैरा-1 की कंडिका (1) में "जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सिलगेर और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम क्रमशः सारकेगुड़ा एवं चिमली पेंटा" के स्थान पर "जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सिलगेर एवं चिमली पेंटा" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.